

01 अप्रैल 2017

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051
---	--

Dear Sir,

**Submission of copy of Notice of EGM**

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of Extra-Ordinary General Meeting of IDBI Bank Ltd. to be held on April 27, 2017 at 11.00 a.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai - 400 021.

Kindly acknowledge the receipt and take the above on record.

भवदीय

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



[पवन अग्रवाल]

कंपनी सचिव

11/04/17

संलग्न: उपर्युक्त



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन : L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,  
कफ परेड, मुंबई - 400 005

टेली.: (022) 66552779, 66553336 फैक्स: (022) 2218 2352,  
वेबसाइट : www.idbi.com, ईमेल आईडी :  
idbiequity@idbi.co.in

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण महासभा गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाई की जाएगी :

#### विशेष कारोबार

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा अन्य लागू कानून(नों), यदि कोई हो, के अनुसरण में और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा आशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल को, (i) ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य और प्रति ₹66.77 के इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित (28 मार्च 2017 की संबद्ध तारीख के संदर्भ में सेबी दिशानिर्देश के अनुसार गणना की गई) ₹76.77 प्रति शेयर के मूल्य पर कुल ₹1900 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़ रूपए मात्र) मूल्य के बैंक के 247492510 इक्विटी शेयर भारत सरकार (प्रवर्तक) को ऑफर, निर्गम और आबंटन के लिए तथा (ii) ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य और प्रति ₹66.77 के इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित (28 मार्च 2017 की संबद्ध तारीख के संदर्भ में सेबी दिशानिर्देश के अनुसार गणना की गई) ₹76.77 प्रति शेयर के मूल्य पर कुल ₹600 करोड़ (छह सौ करोड़ रूपए मात्र) मूल्य के बैंक के 78155530 इक्विटी शेयर बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं) को अधिमान्य आबंटन के आधार पर, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर VII के प्रावधानों के अनुसार, अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत जारी की गई उक्त पूंजी की राशि, जो बैंक की वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी में जोड़ी जानी है, को ऑफर, निर्गम और आबंटन के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए तथा एतद्वारा दी जाती है.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में जरूरी और आकस्मिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.”

#### पंजीकृत कार्यालय :

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड  
आईडीबीआई टॉवर,  
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,  
कफ परेड,  
मुंबई - 400 005.  
दिनांक : 01 अप्रैल 2017

बोर्ड के आदेश से  
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

(पवन अग्रवाल)  
कंपनी सचिव



IDBI BANK LIMITED

CIN : L65190MH2004GOI148838

Regd. Office-IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe  
Parade, Mumbai- 400 005

Tel. : (022) 66552779, 66553336 Fax: (022) 2218 2352,  
website: www.idbi.com,  
e-mail id: idbiequity@idbi.co.in

### NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Thursday, April 27, 2017 at 11 a.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai - 400 021 to transact the following business:

#### SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

“RESOLVED THAT, pursuant to section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the B.R. Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of other statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to (i) offer, issue and allot upto 247492510 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 76.77 per share comprising of the face value of ₹ 10/- each and premium of ₹ 66.77 per equity share (calculated as per SEBI guidelines with reference to the Relevant Date of March 28, 2017) aggregating upto ₹1900 crore (Rupees One Thousand Nine Hundred Crore only) to Government of India (the Promoter) and (ii) offer, issue and allot upto 78155530 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 76.77 per share comprising of the face value of ₹ 10/- each and premium of ₹ 66.77 per equity share (calculated as per SEBI guidelines with reference to the Relevant Date of March 28, 2017) aggregating upto ₹ 600 crore (Rupees Six Hundred Crore only) to Financial Institution(s), including Insurance Companies, Banks, Mutual funds etc, if any on Preferential Allotment basis, in terms of the provisions of chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution.”

Registered Office:  
IDBI Bank Limited  
IDBI Tower, WTC Complex,  
Cuffe Parade,  
Mumbai - 400 005.

By Order of the Board  
For IDBI Bank Limited

Dated: April 01, 2017

(Pawan Agrawal)  
Company Secretary

## टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत असाधारण महासभा की सूचना की मद संख्या 1 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में वोट देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है। इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाले, बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम दस प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि बैंक की कुल शेयर पूंजी की दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य, जिसके पास मताधिकार है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है। प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :
  - (क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेसेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।
  - (ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी की नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
  - (ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को बैठक में उपस्थिति के समय अपनी पहचान बताने के लिए कोई पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अपने साथ लाना होगा।
  - (घ) यदि कोई व्यक्ति 50 से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है तो ऐसा प्रॉक्सी कोई भी 50 सदस्य चुनकर बैंक की निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि शुरू होने के पहले अर्थात् बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पहले बैंक को इसकी पुष्टि करेगा। यदि प्रॉक्सी सूचित नहीं कर पाता है तो बैंक पहले प्राप्त 50 प्रॉक्सियों को वैध मानेगा।
3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं।

## NOTES:

1. Explanatory Statement in respect of Item No. 1 of the EGM Notice under Section 102 of the Companies Act, 2013 is annexed herewith.
2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:
  - (a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.
  - (b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
  - (c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.
  - (d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 11 a.m. (IST) on Wednesday, April 26, 2017. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.
3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में दिए अनुसार, असाधारण महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (केन्द्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल : einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के ईक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66194058/ 66552779/3062/3336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल : idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें।
6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है।
8. यथासंशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
  - i) असाधारण महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मर्दों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।
  - ii) बैंक असाधारण महासभा के आयोजन वाले स्थान पर टैब आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और असाधारण महासभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं दिए हैं, वे असाधारण महासभा में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
  - iii) ऐसे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दे चुके हैं वे असाधारण महासभा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे असाधारण महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे।
  - iv) इस नोटिस के साथ भेजे जा रहे पहचान फार्म में लॉगिन आईडी के ब्योरे दिए गए हैं।
  - v) शेयरधारक, जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 20 अप्रैल 2017 (कार्यदिवस की समाप्ति), जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम से या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हितकर स्वामी हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट किया जाए।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

**[A] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है.**

- i. ई-मेल खोलें तथा अपने क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.
- ii. यूआरएल <https://evoting.karvy.com/> को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.
- iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

4. The quorum for the Extra-Ordinary General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting.
5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20<sup>th</sup> floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 [Tel. No.(022) 66194058/ 66552779/3062/3336, Fax No.(022) 22182352, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1.00 p.m.
7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.
8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;
  - i) The Item of Business given in the EGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
  - ii) The Bank is providing facility for Tab based e-voting at the venue of EGM and Members attending the EGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the EGM.
  - iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the EGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM.
  - iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.
  - v) The votes may be cast by electronic voting system by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **April 20, 2017 (End of Day)**, being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting at the EGM.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

**[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.**

- i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.
- ii. Launch internet browser by typing the URL: <https://evoting.karvy.com>
- iii. Click on Shareholder "Login"

- iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.
- v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुर्जोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.
- vi. "e-Voting" का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"-Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.
- viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 22 अप्रैल 2017 (भारतीय मानक समयानुसार 12:00 बजे) को शुरू होगी और बुधवार, 26 अप्रैल 2017 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी.**
- ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें।
- x. पुष्टिकरण के बाद, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित होगा.
- xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर वोट दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- xii. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षर(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) को भेजें.

[आ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्बी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत हैं.

- i. यूआरएल <https://evoting.karvy.com> को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.
- ii. Shareholder Login पर क्लिक करें. अपना यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" का उपयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)
- iii. "Login" पर क्लिक करें.
- iv. "e-Voting" का होम पेज प्रदर्शित होगा. "e-Voting" - Active Voting Cycles पर क्लिक करें. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना वोट डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के "E-Voting Event Number (EVEN)" को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार वोट डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता). ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि **26 अप्रैल 2017 को शाम 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार)**, जो भी पहले हो, कार्बी के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं. मतदान अवधि **शनिवार, 22 अप्रैल 2017 को (भारतीय मानक समयानुसार 12:00 बजे) शुरू तथा बुधवार, 26 अप्रैल 2017 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी.**
- v. "Cast Vote" के खुलते ही आप "e-Voting" के लिए तैयार हैं.
- vi. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट दें, "Submit" पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें।

- iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.
- vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.
- viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, April 22, 2017 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Wednesday, April 26, 2017 (5:00 p.m. IST).**
- ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.
- x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.
- xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy

- i. Launch internet browser by typing URL: <https://evoting.karvy.com>
- ii. Click on Shareholder - Login  
Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com))
- iii. Click Login
- iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles  
Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5:00 p.m. (IST) of April 26, 2017**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **Saturday, April 22, 2017 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Wednesday, April 26, 2017 (5:00 p.m. IST).**
- v. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.
- vi. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

- vii. यदि आपने संकल्प पर वोट दे दिया है तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- viii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) को भेजें।

[इ] असाधारण महासभा सूचना प्रेषण की गणना के लिए ऐसे व्यक्तियों की ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जो नियत (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 24 मार्च 2017 तथा 20 अप्रैल 2017 तक (शेयरधारकों के मताधिकार के लिए कट-ऑफ तारीख की गणना होने के कारण) के बाद बैंक के सदस्य बने हैं।

24 मार्च 2017 (ईजीएम सूचना प्रेषण की गणना की अंतिम तारीख) से 20 अप्रैल 2017 (सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना की अंतिम तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित करने वाले तथा 20 अप्रैल 2017 की उक्त अंतिम तारीख तक अपनी सदस्यता बरकरार रखने वाले व्यक्ति, रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम स्थल पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट के विकल्प का चयन करते हैं तो वे अपनी शेयरधारिता विवरण जैसे नाम, धारित शेयर, फोलियो नं. अथवा डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी नं. आदि देते हुए [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) पर अनुरोध भेजकर कार्वी से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही कार्वी में पंजीकृत हैं तो आप अपने वर्तमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" विकल्प के माध्यम से आप उसे रीसेट कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के वोटिंग संबंधी अधिकार 20 अप्रैल 2017 की अंतिम तारीख तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन को सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' विकल्प पर जाना होगा।
- आप अपने लॉगिन आईडी और वर्तमान पासवर्ड का उपयोग विशेष रूप से अपनी शेयरधारिता वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों के संबंध में ई-वोटिंग करने के लिए कर सकते हैं।
- आपसे पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा इसे गोपनीय रखने के लिए समुचित सावधानी बरतें।
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा बुधवार, 26 अप्रैल 2017 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद ब्लॉक कर दी जायेगी।
- यथा 20 अप्रैल 2017 अर्थात् ई-वोटिंग की नियत अंतिम तारीख को बैंक की सदस्यता न रखने वाले व्यक्ति इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में लें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्छीबोली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक रामगुडा, हैदराबाद-500 032 स्थित बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टॉल फ्री नं. 1800-345-4001, फैक्स नं. (040)

- vii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- viii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

[C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of EGM Notice, i.e., March 24, 2017 and upto April 20, 2017 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from March 24, 2017 (cut-off date for reckoning the dispatch of EGM Notice) till April 20, 2017 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of April 20, 2017, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of EGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from Karvy by sending a request to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) by giving their shareholding details viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with Karvy for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com).

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of April 20, 2017.
- A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Wednesday, April 26, 2017 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on April 20, 2017, i.e., Cut-off date fixed for e-voting, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com)] or

23420814, ईमेल: [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com)] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 (022)-66194058 /66552779 /3336 /3062) से संपर्क कर सकते हैं।

9. जिन सदस्यों ने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं, उन्हें ईजीएम के आयोजन स्थल पर टैब आधारित ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 29 अप्रैल 2017 तक अथवा उससे पहले बैंक की वेबसाइट [www.idbi.com](http://www.idbi.com) तथा कार्बी की वेबसाइट [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) पर प्रदर्शित कर घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे।
11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में सहभागिता करने वाले प्रत्येक सहभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते रखने वाले डिपॉजिटरी सहभागी को अपना पैन प्रस्तुत करें। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अपना पैन बैंक/ कार्बी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### **तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:**

- (i) कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 के मानदंडों के अनुसार, हम, एतद्वारा, आईडीबीआई बैंक लि. के सभी सदस्यों, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत नहीं किया है या इसे अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध करते हैं कि आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएं प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं। वर्तमान में उन शेयरधारकों को नोटिस/ अन्य सूचनाओं की भौतिक प्रति भेजी जा रही है जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है।
- (ii) दिनांक 21 मार्च 2013 के सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2013 के अनुसार, अब से सूचीबद्ध कंपनियों अनिवार्य रूप से निवेशकों को, शेयर धारकों के लाभांश (भविष्य में यदि कोई घोषित की जाए) सहित सभी भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)]/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से करेंगी। हम बैंक के सभी भौतिक शेयरधारकों से बैंक की वेबसाइट [www.idbi.com](http://www.idbi.com) पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे प्रस्तुत करने (यदि अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है) का अनुरोध करते हैं। विधिवत भरे हुए फॉर्म उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए। इससे अधिदेशित बैंक खाते में उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से लाभांश (यदि कोई घोषित किया जाए) के भुगतान में सुविधा होगी।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 के मानदंडों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े रहेंगे, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अनुपालन में बैंक इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2009-10 के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करेगा। शेयरधारक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें।

IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022)- 66194058 /66552779 /3336 /3062).

9. Facility of Tab based e-voting to cast vote at the venue of EGM will be provided to the Members who have not cast their vote earlier through remote e-voting.
10. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before April 29, 2017 by displaying the same on Bank's Website [www.idbi.com](http://www.idbi.com) and Karvy's website [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com). Further, the result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) on the same day.
11. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Bank/ Karvy.

#### **IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:**

- (i) In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, we, hereby, request all Members of IDBI Bank Ltd., who have till date not registered e-mail id(s) or updated the same with the Bank, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form. At present, hard copy of Notices / other communications is being sent to the shareholders who have not registered their email ids.
- (ii) In terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/DP/10/2013 dated 21.03.2013, directing that, henceforth, Listed Companies shall mandatorily make all payments to Investors, including Dividend (to be declared, if any, in future) to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request all Shareholders of the Bank who hold physical shares to furnish the Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website [www.idbi.com](http://www.idbi.com). Duly filled in form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate payment of dividend (declared, if any) through aforesaid electronic mode in the mandated Bank Account.
- (iii) As per the provisions of Section 124 (5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125 (1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2009-10 to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2009-10 are requested to approach the Bank for claiming the same.

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, तथा यथा संशोधित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 के अनुसार उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2008-09 और उसके बाद लगातार सात वर्षों तक एवं उससे अधिक समय तक अपने शेयरों पर प्रदत्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनके शेयर आईडीपीएफ में अंतरित कर दिये जाएंगे। अतः इसके अनुपालन में बैंक इस प्रकार के शेयरों को 07 जून 2017 को या उससे पहले आईडीपीएफ में अंतरित कर देगा।

नीयत तारीख से पहले शेयरों और अदावित लाभांश के आईडीपीएफ में अंतरण से बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अदावित लाभांश राशि को जारी करने के लिए हमें निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

क) अदावित लाभांश राशि दावा करने और पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए अनुरोध पत्र।

ख) एक निरस्त चेक पन्ने के साथ बैंक अधिदेश फॉर्म (बैंक की वेबसाइट [www.idbi.com](http://www.idbi.com) पर उपलब्ध) में आपके बैंक खाते के ब्योरे और आपके बैंकर से हस्ताक्षर सत्यापन पत्र।

ग) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति।

घ) मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति।

कृपया नोट करें कि उपर्युक्त दस्तावेज बैंक के पास 30 अप्रैल 2017 को या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। ऐसा न होने पर बैंक उक्त शेयरों को आईडीपीएफ अंतरित कर देगा।

(v) सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करने हैं। हम सभी शेयरधारकों, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी शेयरधारिता को भौतिक रूप से डीमैट रूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने अथवा ईजीएम में वोटिंग के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 20 अप्रैल 2017 को शेयरों के हितकर स्वामी हैं।

#### नोटिस का अनुबंध

#### असाधारण महासभा की मद सं. 1 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

बैंक को भारत सरकार का दिनांक 16 मार्च 2017 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को अपनी टीयर I पूंजी बरकरार रखने में सहायता करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूंजी सहायता के प्रति ₹1900 करोड़ तक की राशि लगाने के निर्णय के बारे में सूचित किया है। पूंजी आबंटन तिमाही लक्ष्य से सम्बद्ध है जिसके प्रति सभी सम्बद्ध पक्षों, अर्थात् बैंक के बोर्ड, प्रबंधन, कर्मचारी एवं यूनियनों को अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। तदनुसार, यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन (i) प्रत्येक ₹10 के प्रति शेयर ₹76.77 कीमत पर, जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार यथा 28 मार्च 2017 (सम्बद्ध तारीख) को परिकलित है, कुल ₹1900 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़ रुपए मात्र) (प्रीमियम की राशि शामिल कर) मूल्य के कुल 247492510 इक्विटी शेयर अधिमानी आबंटन आधार पर भारत सरकार (प्रवर्तक) को ऑफर, निर्गम और आबंटन के लिए, तथा (ii) प्रत्येक ₹10 के प्रति शेयर ₹76.77 कीमत पर, जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार यथा 28 मार्च 2017 (सम्बद्ध तारीख) को परिकलित है, कुल ₹600 करोड़ (छह सौ करोड़ रुपए मात्र) (प्रीमियम की राशि शामिल कर) मूल्य के कुल 78155530 इक्विटी शेयर अधिमानी आबंटन आधार पर बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं) को ऑफर, निर्गम और आबंटन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरों का अधिमानी आबंटन, अंशधारकों द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार के अनुमोदन

(iv) As per the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013, and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended all shares corresponding to the shareholders who have not claimed dividend paid for the FY 2008-09 and for subsequent years consecutively for seven years or more, are required to be transferred to IEPF. In compliance thereof, the Bank will transfer such shares to the IEPF on or before June 07, 2017.

With a view to overcome the instances of transfer of shares and unclaimed dividend to IEPF before the due date, we request you to provide us the following documents to enable us to release the amount of unclaimed dividend.

a) Request letter claiming unclaimed dividend amount and change of address, if any.

b) Your Bank Account details in Bank Mandate Form (hosted on Bank's website [www.idbi.com](http://www.idbi.com)) alongwith a cancelled cheque leaf and signature attestation letter from your Banker.

c) Self attested photocopy of the PAN card.

d) Self attested photocopy of the Voter ID or Passport or Driving Licence or AADHAAR card.

Please note that, the aforesaid documents need to reach the Bank on or before **April 30, 2017**, failing which, the Bank will have to transfer the said shares to IEPF.

(v) SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat Form. We request the shareholders, who hold their shares in physical form to convert their Shareholdings from physical form to Demat form at the earliest.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of April 20, 2017, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue of EGM.

#### ANNEXURE TO THE NOTICE

#### Explanatory Statement in respect of Item No.1 of the EGM Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

The Bank has received Govt. of India's letter dated March 16, 2017 conveying their decision to allocate capital to the tune of ₹ 1900 crore (Rupees One Thousand Nine Hundred Crore only) to enable IDBI Bank to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant regulatory guidelines issued from time to time. The capital allocation is linked with quarterly milestones, on which, all related parties, i.e., Bank's Board, Management, employees and unions must commit. Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to (i) offer, issue and allot upto 247492510 number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price of ₹76.77 per share calculated on March 28, 2017 (the relevant date) in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, on Preferential Allotment basis aggregating upto ₹ 1900 crore (Rupees One Thousand Nine Hundred Crore only) [inclusive of premium amount] to Government of India (the Promoter); and (ii) offer, issue and allot upto 78155530 number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price of ₹76.77 per share calculated on March 28, 2017 (the relevant date) in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, on Preferential Allotment basis aggregating upto ₹ 600 crore (Rupees Six Hundred Crore only) [inclusive of premium amount] to Financial Institution(s), including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc, if any. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution



और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक अनुमोदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पूरा करना अपेक्षित है। इसके अलावा अंशधारक नोटिस के साथ भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में अंशधारकों के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के खंड 73 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार अधिमाम्य आबंटन के संबंध में किए जाने वाले विशेष प्रकटन अंशधारकों की जानकारी हेतु नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिमानी निर्गम का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाना जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।																				
ऑफर में अभिदान के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा निर्गमकर्ता के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का प्रस्ताव	ऑफर में अभिदान के लिए निदेशकों अथवा निर्गमकर्ता के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में भारत सरकार के दिनांक 16 मार्च 2017 के पत्र के अनुसार कुल ₹1900 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़ रुपये मात्र) के शेयर भारत सरकार (प्रवर्तक) को जारी किए जाएं तथा बीमा कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं) को उनके पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आबंटन के रूप में कुल ₹600 करोड़ (छह सौ करोड़ रुपये मात्र) के शेयर जारी किए जाएं।																				
संबद्ध तारीख तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमवली, 2009 के अनुसार परिकलित मूल्य	संबद्ध तारीख 28 मार्च 2017 (अर्थात् 27 अप्रैल 2017 को असाधारण महासभा में विशेष संकल्प पारित होने से 30 दिन पहले) है तथा सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति ईक्विटी शेयर परिकलित मूल्य ₹76.77/- है (जिसमें अंकित मूल्य ₹10/- तथा शेयर प्रीमियम राशि के रूप में ₹66.77/- प्रति शेयर शामिल है)।																				
अधिमानी निर्गम के पहले तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता पद्धति	आईडीबीआई बैंक लि. की अधिमानी निर्गम से पहले की शेयरधारिता पद्धति: (यथा 24.03.17): <table border="1"> <thead> <tr> <th>शेयरों की सं.</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रवर्तक (भारत सरकार)</td> <td>1523113202 73.98%</td> </tr> <tr> <td>बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, सहित वित्तीय संस्थाएं</td> <td>323542340 15.71%</td> </tr> <tr> <td>अन्य शेयरधारक</td> <td>212159539 10.31%</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>2058815081 100.00%</td> </tr> </tbody> </table> आईडीबीआई बैंक लि. की अधिमानी निर्गम के बाद की शेयरधारिता पद्धति: <table border="1"> <thead> <tr> <th>शेयरों की सं.</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रवर्तक (भारत सरकार)</td> <td>1770605712 74.26%</td> </tr> <tr> <td>बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्थाएं</td> <td>401697870 16.85%</td> </tr> <tr> <td>अन्य शेयरधारक</td> <td>212159539 8.89%</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>2384463121 100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	शेयरों की सं.	प्रतिशत	प्रवर्तक (भारत सरकार)	1523113202 73.98%	बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, सहित वित्तीय संस्थाएं	323542340 15.71%	अन्य शेयरधारक	212159539 10.31%	कुल	2058815081 100.00%	शेयरों की सं.	प्रतिशत	प्रवर्तक (भारत सरकार)	1770605712 74.26%	बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्थाएं	401697870 16.85%	अन्य शेयरधारक	212159539 8.89%	कुल	2384463121 100.00%
शेयरों की सं.	प्रतिशत																				
प्रवर्तक (भारत सरकार)	1523113202 73.98%																				
बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, सहित वित्तीय संस्थाएं	323542340 15.71%																				
अन्य शेयरधारक	212159539 10.31%																				
कुल	2058815081 100.00%																				
शेयरों की सं.	प्रतिशत																				
प्रवर्तक (भारत सरकार)	1770605712 74.26%																				
बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्थाएं	401697870 16.85%																				
अन्य शेयरधारक	212159539 8.89%																				
कुल	2384463121 100.00%																				
अधिमानी निर्गम पूरा करने की समय-सीमा	विशेष संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात् 27 अप्रैल 2017 से 15 दिनों के भीतर या भारत सरकार और/																				

by the shareholders or within 15 days of getting approval of Govt and/ or other Statutory/ Regulatory approval, if any, whichever is later. Moreover, the specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under clause 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted herein-below for information of the shareholders:

The objects of the Preferential Issue	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.																														
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer	There is no proposal of the Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer. However, it is proposed to issue the shares to Government of India (the Promoter) aggregating upto ₹ 1900 crore (Rupees One Thousand Nine Hundred Crore only) in terms of Govt. of India's letter dated March 16, 2017 received in this regard and to Financial Institution(s), including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc., if any, aggregating upto ₹ 600 crore (Rupees Six Hundred Crore only) by way of preferential allotment of equity in their favour.																														
Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009	The Relevant Date is March 28, 2017 (i.e. 30 days prior to the date of passing of special resolution in the EGM on April 27, 2017) and the price calculated as per SEBI guidelines is ₹ 76.77 per equity share (comprising of ₹ 10/- as face value and ₹ 66.77 per share as share premium amount).																														
The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	<b>Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.</b> (as on 24.03.17): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No. of Shares</th> <th>% age</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoters (Govt)</td> <td>1523113202</td> <td>73.98%</td> </tr> <tr> <td>Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc,</td> <td>323542340</td> <td>15.71%</td> </tr> <tr> <td>Other Shareholders</td> <td>212159539</td> <td>10.31%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2058815081</b></td> <td><b>100.00%</b></td> </tr> </tbody> </table> <b>Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No. of Shares</th> <th>% age</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoters (Govt)</td> <td>1770605712</td> <td>74.26%</td> </tr> <tr> <td>Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc., if any</td> <td>401697870</td> <td>16.85%</td> </tr> <tr> <td>Other Shareholders</td> <td>212159539</td> <td>8.89%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2384463121</b></td> <td><b>100.00%</b></td> </tr> </tbody> </table>		No. of Shares	% age	Promoters (Govt)	1523113202	73.98%	Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc,	323542340	15.71%	Other Shareholders	212159539	10.31%	<b>Total</b>	<b>2058815081</b>	<b>100.00%</b>		No. of Shares	% age	Promoters (Govt)	1770605712	74.26%	Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc., if any	401697870	16.85%	Other Shareholders	212159539	8.89%	<b>Total</b>	<b>2384463121</b>	<b>100.00%</b>
	No. of Shares	% age																													
Promoters (Govt)	1523113202	73.98%																													
Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc,	323542340	15.71%																													
Other Shareholders	212159539	10.31%																													
<b>Total</b>	<b>2058815081</b>	<b>100.00%</b>																													
	No. of Shares	% age																													
Promoters (Govt)	1770605712	74.26%																													
Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc., if any	401697870	16.85%																													
Other Shareholders	212159539	8.89%																													
<b>Total</b>	<b>2384463121</b>	<b>100.00%</b>																													
The time within which the Preferential Issue shall be completed	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of special resolution, i.e., within 15																														

	या अन्य किसी सांविधिक / विनियामकीय निकाय से ईक्विटी का अधिमानी निर्गमन करने का अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, अधिमानी आबंटन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित किया जा सकनेवाला अधिमानी निर्गमन के पश्चात का प्रतिशत और अधिमानी निर्गमन के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो,	शेयर, भारत सरकार तथा बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं)के आबंटित करने का प्रस्ताव है इस अधिमानी निर्गमन के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार आईडीबीआई बैंक की प्रवर्तक रहेगी. निर्गमन पश्चात पूंजी का प्रतिशत उमर दी गई निर्गमन के बाद शेयरधारिता पद्धति में दर्शाया गया है
यह वचनपत्र कि निर्गमकर्ता, आवश्यकतानुसार इन विनियमनों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनःगणना करेगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छह महीनों से अधिक अवधि से सूचीबद्ध हैं
यह वचनपत्र कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय के भीतर नहीं होता है तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक लॉक रहेंगी जब तक आबंटितों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाये.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छह महीनों से अधिक अवधि से सूचीबद्ध हैं
प्रस्तावित अधिमानी निर्गमन पर विचार करते हुए कि शेयरधारकों की साधारण सभा के समक्ष यह प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए कि यह निर्गमन इन विनियमनों की आवश्यकताओं के क्रम में किया जा रहा है	सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र ईजीएम में प्रस्तुत किया जाएगा.
निर्गमन के लिए प्रतिफल	भारत सरकार तथा बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं) से नकदी प्रतिफल की प्राप्ति पर ईक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

इस संबंध में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक विशेष संकल्प पारित कर निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। पूर्वोक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयर धारिता की सीमा के अलावा, यदि कोई है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कोई भी वित्तीय या अन्य सरोकार या हित नहीं है।

**पंजीकृत कार्यालय :**  
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,  
आईडीबीआई टॉवर,  
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,  
मुंबई - 400 005

बोर्ड के आदेश से  
**कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)  
कंपनी सचिव

दिनांक : 01 अप्रैल 2017

	days from April 27, 2017 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from Govt. and/or any other statutory/regulatory body in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.
The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue	The shares are proposed to be allotted to Government of India and Financial Institution(s), including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc. if any. Consequent to the Preferential issue, there will not be any change in control as, Govt. of India will continue to be the Promoter of IDBI Bank. The percentage of Post Issue Capital is shown in the Post Issue Shareholding Pattern given above.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than six months.
An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than six months.
To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The certificate of Statutory Auditors will be placed before the EGM.
Consideration for the Issue	The equity shares will be issued against receipt of consideration in cash from Government of India and Financial Institution(s), including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc. if any.

The shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing a special resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**Registered Office:**  
IDBI Bank Limited  
IDBI Tower, WTC Complex,  
Cuffe Parade,  
Mumbai - 400 005.

By Order of the Board  
**For IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)  
Company Secretary

Dated: April 01, 2017





आईडीबीआई बैंक लिमिटेड  
सीआईएन L65190MH2004GOI148838

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.  
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005

सदस्य(यों) का/के नाम :
पंजीकृत कार्यालय :
ईमेल आईडी :
फोलियो सं./डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :

मैं/हम, ऊपर उल्लिखित कंपनी के ..... शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्वारा

- नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ई-मेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,
- नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ई-मेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,
- नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ई-मेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021 में 27 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की जानेवाली और/या उसके किसी स्थान पर आयोजित होनेवाली बैंक की असाधारण महासभा में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में अपने/हमारे लिए और/या अपनी/हमारी ओर से उपस्थित होने और/या मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं :

#### विशेष संकल्प

(i) भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन आधार पर कुल ₹1900 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़ रुपए मात्र) के ₹76.77/- प्रति शेयर की कीमत पर प्रत्येक ₹10/- के 247492510 ईक्विटी शेयर ऑफर, जारी और आबंटित करने; तथा (ii) बीमा कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंड आदि, यदि कोई हो, सहित वित्तीय संस्था(ओं) को अधिमान्य आबंटन आधार पर कुल ₹600 करोड़ (छह सौ करोड़ रुपए मात्र) के ₹76.77/- प्रति शेयर की कीमत पर प्रत्येक ₹10/- के 78155530 ईक्विटी शेयर ऑफर, जारी और आबंटित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत संकल्प.

दिनांक ..... माह .... 2017 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर :

रेवेन्यू  
टिकट  
लगाएं

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् मंगलवार, 25 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.



**IDBI BANK LIMITED**  
**CIN:L65190MH2004GOI148838**  
**Form No. MGT-11**  
**Proxy Form**

*[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]*

Name of the company: IDBI Bank Ltd.  
Registered office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

Name of the member (s):
Registered address:
E-mail Id:
Folio No/ DP ID-Client Id:

I/We, being the member (s) of ..... shares of the above named company, hereby appoint

1. Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_, or failing him
2. Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_, or failing him
3. Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the **Extra-ordinary General Meeting of the Bank, to be held on the 27<sup>th</sup> day of April 2017 at 11 a.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of the resolution indicated below:

**Special Resolution**

Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to (i) offer, issue and allot upto 247492510 equity shares of ₹ 10/- each at a price of ₹ 76.77 per share aggregating upto ₹ 1900 crore (Rupees One Thousand Nine Hundred crore only) to Govt. of India on Preferential Allotment basis; and (ii) offer, issue and allot upto 78155530 equity shares of ₹ 10/- each at a price of ₹ 76.77 per share aggregating upto ₹ 600 crore (Rupees Six Hundred crore only) to Financial Institutions including Insurance Companies, Banks, Mutual Funds, etc. if any on Preferential Allotment basis.

Signed this..... day of..... 2017

Signature of shareholder: \_\_\_\_\_

Signature of Proxy holder(s)



**Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting (i.e. on or before 11 a.m. on Tuesday April 25, 2017).**